फा.सं. 38/37/08-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (ए)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2009

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय : <u>छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के कार्यान्वयन के कारण बकाया पेंशन की दूसरी किश्त का भुगतान ।</u>

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर पेंशन के संशोधन के लिए आदेश इस विभाग के दिनांक 1.9.2008 और 2.9.2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापनों, जैसा कि समय-समय पर स्पष्ट किया गया, द्वारा जारी किए गए थे । इन आदेशों में प्रावधान किया गया था कि बकाया पेंशन का 40% वर्ष 2008-09 और शेष 60% का भुगतान वर्ष 2009-10 में किया जाएगा । तदनुसार, बकाया पेंशन की 40% की पहली किश्त का भुगतान वर्ष 2008-2009 में कर दिया गया है । **यह निर्णय लिया गया है कि बकाया पेंशन का शेष 60% का भुगतान अब पेंशनभोगियों को किया जाए ।**

2. सभी पेंशन संवितरण प्राधिकरणों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अनुरोध है कि वे पेंशनभोगियों की बकाया पेंशन का शेष 60% का संवितरण अंततम 30.09.2009 तक कर दें ।

3. इसे वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से उनके दिनांक 25.08.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/1/2008-आई सी के अंतर्गत जारी किया जाता है ।

(रजनी राजदान)
सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. मानक डाक सूची के अनुसार